

संयुक्त अध्यापन मासिक की बैठक

आज दिनांक 22.10.2023 को अध्यापन मासिक (समस्त विधियों) की संयुक्त बैठक विश्वविद्यालय के सीनियर हॉल, पश्चिम में अपरान्ह 3.00 बजे आयोजित की गई।

बैठक की विनियुक्त प्रस्ताव हैं :-

- (1) Promotion of Research के अंतर्गत प्रकाशित Policy Documents के अनुमोदन पर विचार।
- (2) विश्वविद्यालय हेतु निम्नित consultancy policy के अनुमोदन पर विचार।
- (3) विश्वविद्यालय में किए जा रहे शोध के अंतर्गत Institutional Code of Ethics Document के अनुमोदन पर विचार।
- (4) Plagiarism के अंतर्गत (University Grants Commission Promotion of Academic Integrity and prevention of plagiarism in higher Education Institution Regulation 2018 के अनुमोदन पर विचार।
- (5) Research and publication Ethics (RPE) के अंतर्गत M.D. शोधार्थियों हेतु कोर्स वर्क में 02 क्रेडिट कोर्स (Research and publication Ethics) को अतिवार्थी बनने पर विचार।
- (6) विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के एव अध्यापन सामग्री (जो विश्वविद्यालय द्वारा निम्नित तथा विकसित की गई) इसे OER के माध्यम से संचालित किए जाने के प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार।
- (7) विभिन्न पाठ्यक्रमों के field work / dissertation / Lab manual / project work / practical manual इत्यादी के अनुमोदन पर विचार।

(8) विद्यालय में Flexible Exit या Flexible Entry के प्रावधान पर लिखिए।

(9) Self Learning Material (SLM) Policy Document के अंगीकार पर लिखिए।

(10) विद्यालय के विभिन्न Stakeholders से प्राप्त Feedback के अंगीकार पर लिखिए।

(11) MSc गणित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु BSc (Computer Science) ~~निष्पन्न~~ ~~निष्पन्न~~ की प्रवेश परीक्षा की प्राप्ति हेतु अंगीकार पर लिखिए।

बैंक में निम्नांकित उपस्थिति रही

(1) प्रो. शोभित कुमार वाजपेयी
प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग
(विशेष आमंत्रित सदस्य)

[Signature]
22/10/21

(2) डॉ. राजकुमार लखदेव
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)

[Signature]
22/10/21

शा. माहाशया महाविद्यालय, रतनपुर

(3) जैबुधेश्वर सिंहरोल
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)

गुरुदासिदास केंद्रीय विश्वविद्यालय

[Signature]

(4) डॉ. बीमा सिंह

विभागाध्यक्ष (शिक्षा)

परिजित लुदेरलाल शर्मा मुक्त विवि हज.

[Signature]
22-10-21

(5) डॉ. अमिता सिंह

सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)

परिजित लुदेरलाल शर्मा (मुक्त) विवि हज.

[Signature]
22/10/21

(6) डॉ. प्रकृति जमल

सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)

परिजित लुदेरलाल शर्मा (मुक्त) विवि हज.

[Signature]
22/10/21

(7) डॉ. रूपेन्द्र राव

विभागाध्यक्ष (मनो विज्ञान)

परिजित लुदेरलाल शर्मा (मुक्त) विवि हज.

[Signature]
22/10/21

(8) डॉ. प्रीति राजी शिक्षा

विभागाध्यक्ष (पुस्तकालय विज्ञान)

परिजित लुदेरलाल शर्मा मुक्त विवि

[Signature]
22/10/21

(9) डॉ. लक्ष्मी लामाकिरी
विभागाध्यक्ष (संग्रहशास्त्र एवं सार्वजनिक)
परिचर लक्ष्मणलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय


22/10/21


(10) डॉ. पुरेका इते
विभागाध्यक्ष (परिचर)
परिचर लक्ष्मणलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय इग.


22/10/21


(11) डॉ. जगपालसिंह पुरापति
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)
परिचर लक्ष्मणलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय इग.


22/10/21


(12) डॉ. संजय सिंह
प्राचार्य, सी. एम. डी. महाविद्यालय
विलासपुर इग.



(13) डॉ. वीजा सिंह
सहायक प्राध्यापक (अंग्रेजी)
सी. एम. डी. महाविद्यालय
विलासपुर इग.


22/10/21

(14) डॉ. संतोष सिंह ठाकुर
सहायक प्राध्यापक (संस्कृत शास्त्र)
गुरुदासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय
विलासपुर इग.


22/10/21

(9) डॉ. ललित भावनिया
विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र एवं समाजकार्य)
पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय

Sanyal

(10) डॉ. पुष्कर ठुके
विभागाध्यक्ष (प्रबंधन)
पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय हज.

[Signature]
22/10/2021

(11) डॉ. जयपालसिंह पजापति
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)
पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय हज.

[Signature]
22/10/2021

(12) डॉ. संजय सिंह
प्राचार्य, एम. एन. डी. माहाविद्यालय
बिलासपुर हज.

[Signature]

(13) डॉ. वीणा सिंह
सहायक प्राध्यापक (अंग्रेजी)
ए. एन. डी. माहाविद्यालय
बिलासपुर हज.

[Signature]
22/10/21

(14) डॉ. संतोष सिंह ठाकुर
सहायक प्राध्यापक (संस्कृत शास्त्र)
गुरुदासीवरस केन्द्रीय विश्वविद्यालय
बिलासपुर हज.

[Signature]
22 Oct 2021

बुक में लिखे गए नियम।

(1) विश्वविद्यालय में Promotion of Research के अंगीत Policy Document अद्ययन मोडल के लागू पड़ेन किया गया, जिसे संवैधानिक व अनुमोदन किया गया।

(2) विश्वविद्यालय हेतु निहित consultancy policy अद्ययन मोडल के लागू पड़ेन किया गया, जिसे संवैधानिक व अनुमोदन किया गया।

(3) शोध के अंगीत Institutional code of Ethics Document को अद्ययन मोडल द्वारा अनुमोदन किया गया।

(4) UGC - Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Education Institution Regulation 2018 को विश्वविद्यालय में लिखे जा रहे शोध कर्म में अंगीकृत करने की अनुशंसा की गई।

(5) UGC पर क्रमिक D.O. No. E1-1/2018 (Journal/Care) दिनांक 2019 अगस्त PhD. शोधकर्तियों हेतु Pre-Registration course work के अंगीत 2 credit course "Research and Publication Ethics (RPE)" को अंगीकृत किया गया है। इस हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पाठ्यक्रम नियमित किया है। UGC द्वारा नियमित पाठ्यक्रम को PhD. शोधकर्तियों हेतु Pre-Registration course work में अंगीकृत कर लागू करने की अनुशंसा की गई।

(6) विश्वविद्यालय में Open Educational Resource (OER) Policy 2017 को लागू किया गया है। विश्वविद्यालय OER Policy के अंगीत एअययन सामग्री / self learning materials के online माध्यम से विकसित हेतु CC-BY-SA Licence को मान्य किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा संवैधानिक अद्ययन सामग्री (e-self learning materials) को OER Policy के अंगीत, OER Policy के क्रियान्वयन की निधि से लागू किए जाने की अनुशंसा की गई।

(12) विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न manuals को अद्यतन मॉडल के साथ प्रस्तुत किया गया। पाठ्यक्रमों से MSc, BA in Yoga science, BSc (Botany), BSc (Chemistry), BSc (Zoology), BSc (Physics), BSc & JSC, BEd, DELTA, PGDCA, DCA, BA in Psychology, CGEST, PGDCL, PGDPG & C, BBA, PGDYS, PGDLLW, PGDJMC, PGDDRN के manuals को अंशिक रूप से अद्यतन किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि पाठ्यक्रम संशोधन की तिथि से इसे मान्य किया जाए।

(13) विश्वविद्यालय से Flexible Exit तथा एन्ट्री के प्रावधान पर विचार कर लागू करने हेतु अनुशंसा की गई।

(14) अद्यतन मॉडल के साथ प्रस्तुत SLM Policy Document को अंशिक रूप से रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से सदस्यों द्वारा मान्य किया गया।

(15) विश्वविद्यालय द्वारा online medium से प्राप्त विभिन्न stakeholders से प्राप्त feedback को feedback analysis अद्यतन मॉडल के साथ प्रस्तुत किया गया। इनमें learners, teachers, Academic counsellors, subject experts तथा employees के feedback analysis को अंशिक रूप से अद्यतन किया गया।

(16) MSc गणित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु BE एवं BEd अभ्यर्थियों की प्रत्येक हेतु BEd के लिए परीक्षा को पास करना है। BSc (Computer science) के प्री-प्रवेश परीक्षा हेतु पास को अनुशंसा की गई।



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 341 / अका./ वि.प./ बैठक/ 2021,

बिलासपुर, दिनांक 12/11/2021

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद् की 36 वीं नियमित बैठक माननीय कुलपति महोदय जी की अध्यक्षता में दिनांक 12/11/2021, दिन शुक्रवार अपरान्ह 03:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय 'सिरपुर प्रशासनिक भवन' में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।
बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही :-

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह — अध्यक्ष
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
2. प्रो. एल.पी. पटैरिया, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) — सदस्य
माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट)
3. प्रो. आर.पी. दास (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) — सदस्य
सम कुलपति
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
(कुलपति इग्नू द्वारा नामांकित)
4. डॉ. राजलक्ष्मी सेलट(विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) — सदस्य
आयुक्त के नामिनी
उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर (छ.ग.)
5. प्रो. मनीष श्रीवास्तव, — सदस्य
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
6. प्रो. मीता झा, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) — सदस्य
पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
7. डॉ. अनिता सिंह, — सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, शिक्षा विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
8. श्री संजीव कुमार लवानिया — सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, समाजशास्त्र
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

341

श्री. संजीव कुमार लवानिया

9. डॉ. एस. रूपेन्द्र राव — सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोविज्ञान विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
10. श्री रेशमलाल प्रधान — सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल कम्प्यूटर साइंस
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
11. प्रो. शोभित वाजपेयी — सचिव
प्रभारी कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके —

1. संचालक — सदस्य
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
रायपुर (छ.ग.)

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रख कर निर्णय लिया गया —

प्रस्ताव क्र. 01—विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 35 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवं पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय — अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02— PBAS (Performance Based Appraisal System) प्रारूप के अनुमोदन पर विचार।
निर्णय — IGNOU एवं अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों के प्रोफार्मा का अवलोकन करने के पश्चात आगामी बैठक में रखा जाय।

प्रस्ताव क्र. 03— विश्वविद्यालय विषयों के अध्ययन मण्डलों की कार्यवाही—विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय — अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र.04— विश्वविद्यालय के विभिन्न Policy Document के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय — Mission and Vision, Strategic plan Methodology & Mechanism, E-Governance Policy, ERP (Enterprise Resource Planning Integration), Fund & Resource Mobilization policy का अनुमोदन किया गया।

—पूरक प्रस्ताव—

प्रस्ताव क्र.05— परीक्षा परिणाम समिति Result Committee गठन का प्रस्ताव।

निर्णय — C-1(9)(A) के कंडिका 2 के भाग दो में One Chairman Board of Studies के स्थान पर One Chairman Board of Studies to be nominated by the Kulpati किया जाय।

BSL

शोभित वाजपेयी
12/11/21

प्रस्ताव क्र.06— पी-एच.डी. 2021 हेतु निर्मित प्रवेश एवं सूचना विवरणिका के प्रारूप के अनुमोदन एवं अधिसूचना जारी करने पर विचार।

निर्णय — अनुमोदन किया गया।

—अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय—


प्रस्ताव क्रमांक 01 — शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु प्रस्तावित चयन समिति में माननीय कुलाधिपति के द्वारा मनोनयन हेतु पदवार/विषयवार तीन-तीन विषय-विशेषज्ञों के नाम प्रेषित किये जाने पर विचार।


निर्णय — शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु प्रस्तावित चयन समिति में माननीय कुलाधिपति के द्वारा मनोनयन हेतु पदवार/विषयवार तीन-तीन विषय-विशेषज्ञों के नाम प्रेषित किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव क्र.02— विश्वविद्यालय हेतु तैयार विभिन्न Policy Document एवं Code of Conduct के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय — Policy Document of Green Campus Initiative for the University , Day Care Center for Academic and Non-Academic Staffs Including Research Scholar/Staffs and Learners , Common Room for Female Staff and Learners , Friendly and Barrier Free Environment for the Learners including Differently – Abled Persons, Learners Code of Ethics and conduct , Code of Professional Ethics (as Per UGC Regulations, July-2018) का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।


(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष


(प्रो. शोभित वाजपेयी)
कुलसचिव/सचिव(प्रभारी)

पृ. क्रं. 342/अका./वि.प./बैठक/2021,

बिलासपुर, दिनांक 12/11/2021

प्रतिलिपि —

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सम्मानीय सदस्यगण —
 - 2.1 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी-3, नया रायपुर (छ.ग.)

- 2.2 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)
- 2.3 प्रो आर.पी. दास, सम कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
- 2.4 प्रो. एल.पी.पटेरिया, माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
- 2.5 प्रो. मनीष श्रीवास्तव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- 2.6 प्रो. मीता झा, मनोविज्ञान विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- 2.7 क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU
- 2.8 डॉ. अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU
- 2.8 श्री संजीव लावनिया, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, PSSOU
- 2.9 डॉ. एस.रूपेन्द्र राव, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, PSSOU
- 2.10 श्री रेशमलाल प्रधान, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साइंस, PSSOU की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव कुलपति एवं निज सहायक कुलसचिव को माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।
4. प्रभारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
5. नस्ती हेतु।

प्र. राजेश
कुलसचिव



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 119 / का.प. / बैठक / 2021

बिलासपुर, दिनांक 16/11/2021

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 05/नियमित/2021, दिनांक 15/11/2021, दिन सोमवार को अपरान्ह 12:00 बजे क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही (क्रमांक 2, 3 एवं 5 के सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिए) :-

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह — अध्यक्ष
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
2. प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) — सदस्य
आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
(कुलपति, इग्नू के द्वारा नामांकित)
3. श्री एम. डी. दीवान (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) — सदस्य
संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
4. श्री एस.एल.नायक — सदस्य
संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.)
5. पद्मश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु — सदस्य
(विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)
बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)
6. श्री प्रफुल्ल शर्मा — सदस्य
चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)
7. श्री उचित सूद — सदस्य
होटल सेन्ट्रल पॉइन्ट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)
8. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट — सदस्य
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

9. श्री आर.के. पटेल — सदस्य
संभागीय संयुक्त संचालक
कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर
(सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)
10. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति — सदस्य
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
(कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)
- डॉ. इंदु अनंत — सचिव
कुलसचिव
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में प्रत्यक्ष या विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सके —

1. श्री गुलाब कमरो — सदस्य
उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर
2. श्री संतराम नेताम — सदस्य
उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर

अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये —

प्रस्ताव क्र. 01 — विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 04/नियमित/2021 की कार्यवाही-विवरण की सम्पुष्टि प्रदान करना एवं पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करने पर विचार।

निर्णय — प्रस्ताव क्रमांक 05 में 'अनुमोदन' के स्थान पर 'सूचनार्थ' किया जाय के संशोधन के साथ सम्पुष्टि प्रदान की गई।

प्रस्ताव क्र. 02 — कोरोना से संक्रमित शासकीय कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत किये जाने संबंधी।

निर्णय — प्रस्तावित अवकाश अवधि का Medical Leave (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) जमा करना निर्देशित करे। तथा विशेष आकस्मिक अवकाश एवं ग्रीष्मावकाश मान्य किया गया। संबंधित के खाते में अवकाश न होने की स्थिति में Extra Ordinary Leave स्वीकृत किया जाता है।

कार्यवाही — स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 03 — विश्वविद्यालय परिनियम 13.8 में संशोधन संबंधी।

निर्णय — संशोधन मान्य किया गया।

कार्यवाही — स्थापना/प्रशासन विभाग



प्रस्ताव क्र. 04 – डॉ. रूचि त्रिपाठी द्वारा प्राप्त धारणाधिकार अवधि बढ़ाये जाने हेतु आवेदन पर विचार।

निर्णय – डॉ. रूचि त्रिपाठी द्वारा प्राप्त धारणाधिकार बढ़ाए जाने संबंधी आवेदन पर विचार किया गया। कार्यपरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से धारणाधिकार समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 05 – विश्वविद्यालय में महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दर लागू करने की सूचना ग्रहण करने संबंधी।

निर्णय – सूचना ग्रहण किया गया।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 06 – विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 27/08/2021 के निर्णय पर की गई कार्यवाही के प्रकाश में स्टूडियो निर्माण पर विचार करना।

निर्णय – विश्वविद्यालय भवन निर्माण संबंधी क्रय समिति की बैठक दिनांक 27/08/2021 पर की गई अनुसंशा निम्न शर्तों/सुझाव सहित मान्य किया गया।

1. L1 फर्म (मेसर्स गगन होम साल्युशन बिलासपुर) को पत्र दिया जाय की फर्म अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में 25/11/2021 तक सप्रमाण अपना पक्ष प्रस्तुत करें। संतोषजनक प्रस्तुत न करने की स्थिति में L2 फर्म (भट्ट इन्टरप्राइजेस बिलासपुर) से Negotiate कर L2 फर्म को कार्यादेश दिया जाय।

2. इसके साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा सड़क निर्माण कार्य के लिए जमा की गई (पी.डब्लू.डी. के पक्ष में) बचत राशि से सिहावा अकादमिक भवन में लिफ्ट लगाने का कार्य करा लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – यांत्रिकी विभाग

प्रस्ताव क्र. 07 – विश्वविद्यालय ग्रंथालय हेतु पुस्तक क्रय संबंधी।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – ग्रंथालय विभाग

प्रस्ताव क्र. 08 – विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने वाले अधिवक्ता शुल्क पर विचार करने संबंधी।

निर्णय – विभिन्न विश्वविद्यालयों से अधिवक्ता शुल्क की जानकारी प्राप्त की गई थी। कार्यपरिषद् द्वारा विचार कर रुपये 15,000/- (पंद्रह हजार रुपये मात्र) मान्य किया गया।

कार्यवाही – विधि प्रकोष्ठ

प्रस्ताव क्र. 09 – विश्वविद्यालय वेबसाइट में विश्वविद्यालय मोनो का दुरुपयोग रोकने हेतु अधिसूचना के प्रसारण संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय वेबसाइट में विश्वविद्यालय मोनो का दुरुपयोग रोकने हेतु अधिसूचना के प्रसारण संबंधी प्रस्ताव को मान्य किया गया।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 10 – कम्युनिटी रेडियो की सेवाए लेने संबंधी।

निर्णय – रूपये एक लाख तक के कार्य हेतु कोटेशन मंगा कर कार्य कराया जाय।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 11 – डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति से प्राप्त स्पष्टीकरण संबंधी।

निर्णय – डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति से प्राप्त स्पष्टीकरण पर कार्यपरिषद् द्वारा विचार किया गया। डॉ. प्रजापति द्वारा नैक संबंधी कार्यों से मुक्त किये जाने के लिए लिखे गये पत्र अप्रसन्नता जाहिर की है। विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम के अंतर्गत निर्देशित कार्यों का निर्वहन विश्वविद्यालय कर्मचारी (शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी) का कार्यालयीन दायित्व है, सौंपे गये दायित्वों से मना करना नीतिगत नहीं है अतः भविष्य में इस तरह की स्थिति की पुनरावृत्ति न हो इसकी समझाइस दी गई। कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह के अनुशासनहीनता पर परिनियम प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। समिति द्वारा पूरक स्पष्टीकरण लिए जाने का सुझाव दिया गया।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 12 – उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय से प्राप्त पत्र पर विचार संबंधी।

निर्णय – उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय से प्राप्त पत्र पर विचार किया गया तथा MoU के लिए मान्य किया गया।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 13 – ST/SC/OBC Cell की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन संबंधी।

निर्णय – ST/SC/OBC Cell की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 14 – विश्वविद्यालय में परामर्शदाता (काउन्सलर) के नाम का अनुमोदन संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय में परामर्शदाता (काउन्सलर) के नाम का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

प्रस्ताव क्र. 15 – विश्वविद्यालय में परीक्षा समन्वयक के मानदेय की कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी।

निर्णय – पूर्व की भांति रूपये 46,500/- (छियालीस हजार पाँच सौ रूपये) मान्य किया गया।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 16 – अतिथि शिक्षकों को आवासीय सुविधा प्रदान किये जाने विषयक।

निर्णय – वर्ग-2 हेतु निर्मित आवास में रिक्त रहने पर निर्धारित किराया, बिजली एवं जल व्यय राशि लेते हुए सशर्त दिया जाय।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 17 – विद्यापरिषद् की 36 वीं बैठक के कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।
निर्णय – विद्यापरिषद् की 36 वीं बैठक के कार्यवाही-विवरण का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 18 – विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी हेतु निर्मित आवास आबंटन किये जाने
विषयक।

निर्णय – आवश्यक सेवा में लगे मानसेवी कर्मचारियों को निर्धारित किराया, बिजली एवं
जल प्रदाय हेतु शुल्क लेकर सशर्त निम्नानुसार आबंटित किया जाय –
1. समन्वयक – वर्ग-2
2. कार्यक्रम समन्वयक, सहा. कार्यक्रम समन्वयक एवं समन्वय सहायक (तकनीकी
कार्य) – वर्ग-3
3. समन्वय सहायक एवं सहायक – वर्ग-4
तकनीकी कार्य में संलग्न समन्वय सहायक को वर्ग-3 में आवास रिक्त रहने पर
दिया जाय।
आबंटन सशर्त हो कि आवश्यक होने पर मानसेवी आवास रिक्त कर देंगे।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 19 – विश्वविद्यालय में सर्वर क्रय हेतु क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर
विचार।

निर्णय – L1 फर्म (Disha Hardware Services, Bilaspur) को मान्य किया गया।

कार्यवाही – भण्डार विभाग

प्रस्ताव क्र. 20 – विश्वविद्यालय के बी.बी.पी.एल./बी.पी.एल विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति नियम संबंधी।
निर्णय – विश्वविद्यालय के बी.बी.पी.एल./बी.पी.एल विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति नियम का
अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

प्रस्ताव क्र. 21 – विश्वविद्यालय लैब सामग्री हेतु रु 24,75,745/- के प्रशासकीय एवं वित्तीय
स्वीकृति संबंधी।

निर्णय – क्रय समिति की अनुशंसा मान्य किया गया। विश्वविद्यालय लैब सामग्री हेतु रु
24,75,745/- (चौबीस लाख पचहत्तर हजार सात सौ पैंतालीस रूपये) के
प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – भण्डार विभाग

प्रस्ताव क्र. 22 – विश्वविद्यालय स्टील चेयर क्रय के राशि रु 12,82,047/- भुगतान की स्वीकृति संबंधी।

निर्णय – कार्य पूर्ण होने पर वित्त शाखा से परीक्षण उपरान्त भुगतान की राशि रु 12,82,047/- (बारह लाख बयासी हजार सैंतालीस रूपये) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – भण्डार विभाग

प्रस्ताव क्र. 23 – विश्वविद्यालय SLM पाठ्य सामग्री क्रय के देयक राशि रु. 51,60,623/- संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय को प्राप्त देयक में टंकित त्रुटि सुधार कर लिया जाय। प्राप्त SLM पाठ्य सामग्री के गुणवत्ता का विधिवत परीक्षण करा लिया जाय। SLM के लिए प्राप्त देयकों का कुल रु. 1,22,42,655/- (एक करोड़ बाईस लाख बयालीस हजार छः सौ पचपन रूपये) का वित्तीय परीक्षण करा भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यपरिषद् के सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि SLM पाठ्य सामग्री के लिए प्रस्तावित तीन वर्षों के मुद्रण हेतु अनुबंध किया जाय। इस पर वित्त नियमों के अंतर्गत परीक्षण करा कार्यपरिषद् के आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही – भण्डार विभाग

पूरक प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. 24 – विश्वविद्यालय के नौ पी-एच.डी शोधार्थियों को जारी अधिसूचना की सूचना ग्रहण करने पर विचार।

निर्णय – सूचना ग्रहण किया गया।

कार्यवाही – परीक्षा विभाग

प्रस्ताव क्र. 25 – विश्वविद्यालय वित्त समिति की 31 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – वित्त विभाग

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. 01– सूचना एवं प्रवेश विवरणिका के देयक 13,34,344/- (तेरह लाख चौतीस हजार तीन सौ चवालिस रूपये) भुगतान संबंधी।

निर्णय – सूचना एवं प्रवेश विवरणिका के देयक रु. 13,34,344/- (तेरह लाख चौतीस हजार तीन सौ चवालिस रूपये) के वित्तीय परीक्षण करा भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – भण्डार विभाग


प्रस्ताव क्र. 02— विश्वविद्यालय में जनसंपर्क अधिकारी की व्यवस्था संबंधी।


निर्णय — विश्वविद्यालय के जनसंपर्क कार्य हेतु तत्काल व्यवस्था की जाय। जनसंपर्क अधिकारी के कार्य को योग्य मानसेवी कर्मचारी को दिये जाने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

कार्यवाही — स्थापना/प्रशासन विभाग

कार्यपरिषद् के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में B.Ed. भवन निर्माण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए राज्य शासन को स्मरण पत्र लिखा जाय।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।


(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष


(इंदु अजंत)
कुलसचिव/सचिव

पृ. क्रं. 120 / का.प./बैठक/2021,
प्रतिलिपि —

बिलासपुर, दिनांक 16/11/2021

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. सम्माननीय सदस्यगण —
 - 3.1 प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
 - 3.2 श्री संतराम नेताम, उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, हर्षा पड़ाव नगर, पंचायत केषकाल, जिला कोण्डागांव।
 - 3.3 श्री गुलाब कमरो, उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, आयुक्त कार्यालय परिसर, संभाग सरगुजा, अंबिकापुर।
 - 3.4 श्री आर.के. पटेल, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित।
 - 3.5 श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
 - 3.6 संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवा रायपुर।
 - 3.7 संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
 - 3.8 पद्मश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु, बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)।
 - 3.9 श्री प्रफुल्ल शर्मा, चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)।
 - 3.10 श्री उचित सूद, होटल सेन्ट्रल पॉइन्ट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)।

- 3.11 डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
की ओर कार्यवाही-विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।
4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
 5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 6. संबंधित विभाग प्रमुखों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यपरिषद् में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
 7. नस्ती हेतु।


कुलसचिव